2007:CGHC:10180

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं. 105 / 2005

शैलेन्द्र कुमार जुर्री

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील सं. 165 / 2005

ईश्वर कावडे एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील सं. 253 / 2005

ईश्वर कावडे एवं दो अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

निर्णय हेतु सूचीबद्ध दिनांक — 24.05.2007

हस्ताक्षरित/-

2007:CGHC:10180

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक: 23.05.2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:CGHC:10180

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र. 105/2005

अपीलार्थी – शैलेन्द्र कुमार जुर्री, पिता - गरीबराम जुर्री, उम्र लगभग 20–21 वर्ष, निवासी – ग्राम टेलगरा, थाना – चारामा, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, थाना चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दाण्डिक अपील क्र. 165/2005

अपीलार्थी – 1. ईश्वर कवड़े, उम्र लगभग 25–26 वर्ष, पिता – रिसाउराम, व्यवसाय – कृषि, निवासी – कोमलपुर, थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

2. संतोष कुमार, उम्र लगभग 25–26 वर्ष, पिता – सुखलाल, व्यवसाय – कृषि, निवासी – कोमलपुर, थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, थाना चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दाण्डिक अपील क्र. 253/2005

अपीलार्थी – 1. ईश्वर कवड़े, पिता – रिसाउराम, उम्र लगभग 25–26 वर्ष, व्यवसाय – कृषक, निवासी – कोमलपुर, थाना – कांकेर

2. संतोष कुमार, पिता – सुखलाल, उम्र लगभग 25–26 वर्ष, व्यवसाय – कृषक, निवासी – कोमलपुर, थाना – कांकेर

3. बृजलाल, पिता – रामसिंह, उम्र लगभग 18–19 वर्ष, व्यवसाय – श्रमिक, निवासी – हाटभरण (भरवंड), पुलिस चौकी – कुंडई, थाना – राइधर, जिला – नवरंगपुर (उड़ीसा)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, थाना चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर अपीलें)

उपस्थित :

श्री विष्णु कोष्ठा, अधिवक्ता, दाण्डिक अपील सं. 105/2005 में अपीलार्थी की ओर से।

श्री पवन श्रीवास्तव, अधिवक्ता, दाण्डिक अपील सं.165/2005 में अपीलार्थीगण की ओरसे।

श्री गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ता, दाण्डिक अपील सं.253/2005 में अपीलार्थीगण की ओर से।

श्री डी.के. ग्वालरे, अतिरिक्त लोक अभियोजक, तीनों दाण्डिक अपीलों में राज्य की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(24.05.2007)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा पारित:

1. इन अपीलों को विशेष प्रकरण क्रमांक 22/2004 में पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय दिनांक 04.01.2005 विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो कि विशेष न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम,1985 (संक्षेप में "एन.डी.पी.एस. अधिनियम" अथवा "अधिनियम"), बस्तर, जगदलपुर द्वारा पारित किया गया। उक्त न्यायालय ने अपीलार्थीगण को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (ख) (ii) (ई) के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹1,00,000/- (एक लाख

रुपए) का अर्थदंड और अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 5 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश पारित किया।

2. सर्वप्रथम, दांडिक अपील सं. 253/2005 में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत श्री गौतम क्षेत्रपाल, विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी क्रमांक 1 — ईश्वर कवड़े तथा अपीलार्थी क्रमांक 2 — संतोष कुमार के संबंध में इस अपील में जोर नहीं दे रहे है I क्योंकि उनकी ओर से पूर्व में ही दांडिक अपील सं. 165/2005 दाखिल की जा चुकी है। उक्त परिस्थितियों में, दांडिक अपील सं. 253/2005, अपीलार्थीगण क्रमांक 1 एवं 2 के संबंध में, 'जोर नहीं देने के कारण ख़ारिज की जाती है और इस अंश में निरस्त की जाती है। अब दांडिक अपील सं. 253/2005 केवल अपीलार्थी क्रमांक 3 — बृजलाल के संदर्भ में ही विचाराधीन रहेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 5-6 मई 2004 की मध्यरात्रि में वन विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा वन बैरियर, चारामा के पास विभिन्न वाहनों की जाँच की जा रही थी। लगभग प्रातः 3:45 बजे एक वाहन (टाटा सूमो), जिसका पंजीयन क्रमांक MP-63/D 0008 था, वहाँ पहुँचा। उक्त वाहन में चार अपीलार्थी सवार थे। वाहन का चालक शैलेन्द्र कुमार जुर्री था। जब उप वन परिक्षेत्र अधिकारी के.एस. ठाकुर (अ.सा.–3) द्वारा वाहन की तलाशी ली गई, तब उसमें 24 किलोग्राम गांजा पाया गया। अ.सा.–3 के.एस. ठाकुर ने तलाशी पंचनामा (प्रदर्श पी–1) तथा जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–9) तैयार किया। उक्त कार्यवाही दो पंच गवाहों, शोभाराम एवं रूपसिंह (अ.सा.–1 एवं अ.सा.–2) की उपस्थिति में किया गया। अभियुक्तगण को उक्त वन अधिकारी द्वारा गिरफ्तार भी किया गया तथा तलाशी एवं जप्ती की कार्यवाही के संबंध में उप वन परिक्षेत्र अधिकारी के.एस. ठाकुर (अ.सा.–3) द्वारा परिक्षेत्र

अधिकारी एल.के. चौधरी (अ.सा.–8) को सूचित किया गया, जिन्होंने आगे दिनांक 06.05.2004 को एक ज्ञापन थाना प्रभारी, पुलिस थाना चारामा को प्रेषित किया, जिसे उप निरीक्षक के.आर. कर्साल (अ.सा.–4) ने प्राप्त किया तथा उसके आधार पर एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी–14) दर्ज की। विवेचक के.आर. कर्साल (अ.सा.–4) ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–8 तैयार किया और वाहन, 24 किलोग्राम गांजा, सूची तथा वन विभाग द्वारा की गई विवेचना से संबंधित दस्तावेजों को परिक्षेत्र अधिकारी एल.के. चौधरी (अ.सा.–8) के कब्जे से जप्त किया। तत्पश्चात गांजा पुलिस विभाग के अभिरक्षा में लिया गया तथा माप-तौल कर उसमें से नमूने लेकर सील किया गया और सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर इस आशय की सूचना उच्चाधिकारी को प्रेषित की गई। नमूनों को रासायनिक विचारण हेतु दिनांक 11.05.2004 को विधिविज्ञान विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहाँ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जप्त की गई वस्तुएँ 'गांजा' पाया गया। उपर्युक्तानुसार समस्त विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. माननीय विशेष न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि वाणिज्यिक मात्रा में गांजा उपरोक्त वाहन से जप्त किया गया था, जिसमें अपीलार्थीगण सवार थे, अतः वे एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (ख) (ii) (ई) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें उपर्युक्तानुसार दंडित किया गया। गांजा को जब्त (अधिहरण) करने का निर्देश दिया गया तथा वाहन के संबंध में, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 60(3) के अंतर्गत पृथक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। उक्त दोषसिद्धि निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध ही अपीलार्थीगण द्वारा ये दांडिक अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

5. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ताओं ने दो पक्षों पर आधारित तर्क प्रस्तुत किए। उनका पहला तर्क यह था कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42(1) के आज्ञापक

प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, क्योंकि तलाशी एवं जप्ती की कार्यवाही वन अधिकारियों द्वारा की गई, जो कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत सशक्त अधिकारी नहीं थे, अतः संपूर्ण कार्यवाही दूषित (vitiated) हो जाती है। दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि जहाँ तक पुलिस अधिकारी का प्रश्न है, उसने गांजा एवं वाहन को वन अधिकारी के कब्जे से जप्त किया, इसलिए अपीलार्थीगण से कोई स्वतंत्र बरामदगी नहीं हुई है और इस प्रकार की बरामदगी को अपीलार्थीगण से संबंधित नहीं माना जा सकता, विशेषतः जब बरामदगी के दोनों गवाह—शोभाराम एवं रूपसिंह (अ.सा.–1 एवं अ.सा.–2)— पक्षद्रोही हो गए हैं और जहा तक अभियुक्तगण से प्रश्नगत तलाशी एवं जप्ती का संबंध है, उन्होंने अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और विशेष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि मादक पदार्थ के संबंध में कोई पूर्व सूचना या जानकारी नहीं थी, अतः उक्त अधिनियम की धारा 42 का प्रावधान लागू नहीं होगा।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा विशेष प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

8. **माननीय सुप्रीम कोर्ट ने *पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह, ए.आई.आर. 1994 सुप्रीम कोर्ट 1872* के प्रकरण में, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41(1), 41(2), 42(1), 42(2) सहित अन्य धाराओं का विचारण करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष स्थापित किए :**

(1) यदि कोई पुलिस अधिकारी, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित किसी पूर्व सूचना के बिना, किसी अपराध अथवा संदेहास्पद अपराध की जांच के सामान्य प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है या गिरफ्तारी करता है, जैसा कि दं.प्र.सं. (Cr.P.C.) में विनिर्दिष्ट है, और जब ऐसी तलाशी पूर्ण हो जाती है, उस स्थिति में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होगी, और उसके अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने का प्रश्न नहीं उठेगा। यदि ऐसी तलाशी या गिरफ्तारी के दौरान कोई मादक पदार्थ या मन:प्रभावी पदार्थ मिलने की संभावना होती है, तब वह पुलिस अधिकारी, यदि वह सशक्त अधिकारी नहीं है, तो उसे सशक्त अधिकारी को सूचित करना चाहिए और तत्पश्चात वही अधिकारी एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि उक्त पुलिस अधिकारी स्वयं सशक्त अधिकारी है, तो उस बिंदु से आगे की जांच एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार करनी होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2A) धारा 41(1) के अंतर्गत केवल कोई सशक्त मजिस्ट्रेट ही अध्याय IV के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी अथवा तलाशी हेतु वारंट जारी कर

सकता है, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे अपराध किए गए हैं या ऐसे पदार्थ किसी भवन, प्रवहण या स्थान में रखे या छिपाए गए हैं। यदि ऐसा वारंट किसी असशक्त मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है, तो उस पर की गई तलाशी अथवा गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी।

इसी प्रकार केवल सशक्त अधिकारी अथवा विधिवत अधिकृत अधिकारी, जैसा कि धारा 41(2) एवं 42(1) में निर्दिष्ट है, ही एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। यदि ऐसे प्रावधानों के अधीन कोई अन्य व्यक्ति तलाशी या गिरफ्तारी करता है, तो वह कार्यवाही अवैध होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दाण्डिक अपील सं.: 105/2005, 165/2005 एवं 253/2005</u>

(2B) धारा 41(2) के अंतर्गत केवल सशक्त अधिकारी ही अपने अधीनस्थ अधिकारी को गिरफ्तारी अथवा तलाशी हेतु प्राधिकृत कर सकता है। यदि इसमें कोई उल्लंघन होता है, तो वह अभियोजन के प्रकरण को प्रभावित करेगा और दोषसिद्धि को दूषित कर देगा।

(2C) धारा 42(1) के अंतर्गत यदि किसी सशक्त अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा कोई पूर्व सूचना प्राप्त होती है, तो उसे आज्ञापक रूप से लेखबद्ध किया जाना चाहिए। किन्तु यदि उसे अपने व्यक्तिगत ज्ञान से विश्वास होता है कि अध्याय IV के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है अथवा ऐसे अपराधों से संबंधित सामग्री किसी भवन आदि में छिपी हुई है, तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच गिरफ्तारी या तलाशी कर सकता है और इस प्रावधान के तहत यह आज्ञापक नहीं है कि वह अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करे। परंतु धारा 42(1) के परंतुक में यह कहा गया है कि यदि अधिकारी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तलाशी करनी हो, तो उसे अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस सीमा तक ये प्रावधान आज्ञापक हैं, और इनका उल्लंघन अभियोजन के प्रकरण को प्रभावित करेगा तथा विचारण को दूषित कर देगा।

(3) धारा 42(2) के अंतर्गत ऐसा सशक्त अधिकारी, जिसने कोई सूचना लेखबद्ध की हो अथवा धारा 42(1) के प्रावधान के अंतर्गत कोई कारण अभिलिखित किया हो, उसे तुरंत अपने निकटस्थ उच्च अधिकारी को उसकी प्रति भेजनी चाहिए।

यदि इस प्रावधान का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, तो वह अभियोजन के प्रकरण को प्रभावित करेगा। इस सीमा तक यह प्रावधान आज्ञापक है। लेकिन यदि इसमें देरी हुई है, तो यह तथ्य की बात होगी कि क्या वह अनुचित देरी थी या उसका स्पष्टीकरण उचित रूप से दिया गया है।

(4A) यदि कोई पुलिस अधिकारी, भले ही वह "सशक्त अधिकारी" ही क्यों न हो, अपराध प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत केवल अपराधों की सामान्य विवेचना के दौरान गिरफ्तारी अथवा तलाशी करते समय, धारा 100 एवं 165, दं.प्र.सं. के प्रावधानों का कठोर पालन करने में विफल रहता है, जिसमें कारण लेखबद्ध करना भी सम्मिलित है, तो ऐसी विफलता केवल एक अनियमितता मानी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4B) यदि कोई सशक्त अधिकारी अथवा धारा 41(2) के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी तलाशी करता है, तो वह दं.प्र.सं. की धारा 100 एवं 165 के अंतर्गत कार्यवाही कर रहा होता है, और यदि दं.प्र.सं. के प्रावधानों का कठोर पालन नहीं हुआ है, तो ऐसी तलाशी अपने आप में अवैध नहीं मानी जाएगी और न ही विचारण दूषित होगा।

ऐसी विफलता का प्रभाव न्यायालयों को साक्ष्य के मूल्यांकन के दौरान प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुरूप ध्यान में रखना होगा।

(5) पूर्व सूचना के आधार पर जब कोई सशक्त अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी धारा 41(2) या 42 के अंतर्गत कार्यवाही करता है, तो उसे तलाशी से पूर्व धारा 50 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है, और संबंधित व्यक्ति को यह जानकारी देना आज्ञापक है कि यदि वह चाहे, तो उसे किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे अधिकारी का यह दायित्व है कि वह तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को सूचित करे। यदि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाता और यदि वह ऐसा अनुरोध करता है, फिर भी उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाया जाता, तो यह धारा 50 का उल्लंघन होगा, जो कि आज्ञापक है, और ऐसा उल्लंघन अभियोजन के प्रकरण को प्रभावित करेगा एवं विचारण को दूषित कर देगा। इस प्रकार सूचित किए जाने के पश्चात संबंधित व्यक्ति ने ऐसा विकल्प चुना या नहीं, यह तथ्यात्मक प्रश्न होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) धारा 52 एवं 57, जो गिरफ्तारी अथवा जप्ती के बाद की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित हैं, अपने आप में आज्ञापक नहीं हैं। यदि इनका पालन नहीं किया गया हो अथवा इनमें कोई चूक जैसे कि देरी आदि हुई हो, तो यह देखा जाएगा कि क्या इससे अभियुक्त को कोई क्षति पहुँची है और ऐसी विफलता साक्ष्य के मूल्यांकन तथा गिरफ्तारी अथवा जप्ती के गुण-दोष पर प्रभाव डालेगी।

9. ***बेकोदान अब्दुल रहमान बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 2002 सुप्रीम कोर्ट 1810*** के प्रकरण में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अधिनियम के अंतर्गत अवैध वस्तुओं के कब्जे के प्रमाणित होने पर संभावित गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए—जैसे कि अभियुक्त पर भार स्थानांतरित होना एवं उस पर कठोर दंडादेश लागू होना—विधायिका ने अधिनियम की विभिन्न धाराओं, विशेष रूप से धारा 42 एवं 50 में कुछ संरक्षणात्मक उपाय प्रदान किए हैं। अधिनियम के कठोर प्रावधान अभियोजन पर यह दायित्व डालते हैं कि वह इन प्रक्रियाओं एवं सुरक्षा उपायों का कठोरता से पालन करे। उक्त प्रकरण में, सूचना दर्ज करने के पश्चात यह नहीं दर्शाया गया कि गवाहों ने अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के निर्देशों का अनुपालन किया। इसी प्रकार, धारा 50 का भी पालन नहीं किया गया, क्योंकि अभियुक्त को यह विकल्प नहीं दिया गया कि क्या वह चाहता है कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ली जाए। न्यायालय ने कहा कि केवल यह पूछना कि "क्या मैं तुम्हारी तलाशी वरिष्ठ अधिकारियों अथवा राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में लूं?"— धारा 50 के पालन के रूप में नहीं माना जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता। अभियुक्त को धारा 50 के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकार की विधिपूर्वक जानकारी दी जानी चाहिए थी, जिससे उसे यह विकल्प मिलता कि वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी कराये। अभियुक्त को ना तो इस अधिकार की जानकारी दी गई, और ना ही उसे कोई विकल्प दिया गया कि उसकी तलाशी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन द्वारा धारा 42 की उपधारा (2) एवं धारा 50 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिससे अभियोजन का प्रकरण स्थापित नहीं हुआ और अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी था।

उक्त निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने *बलबीर सिंह* के प्रकरण (पूर्वोक्त) का संदर्भ दिया तथा ***पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, ए.आई.आर. 1999 सुप्रीम कोर्ट 2378*** एवं ***सत्यद मोहम्मद सल्यद उमर सल्यद बनाम गुजरात राज्य, 1995 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 1852*** के निर्णयों का भी उल्लेख किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41(2) एवं 42(1) का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि केवल वही अधिकारी, जो इन उपधाराओं के अंतर्गत सशक्त अथवा अधिकृत हैं, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अधीन तलाशी एवं जप्ती की कार्यवाही कर सकते हैं; और यदि तलाशी एवं जप्ती ऐसे अधिकारियों द्वारा की जाती है जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत अथवा सशक्त नहीं हैं, तो वह कार्यवाही अवैध मानी जाएगी। इस प्रकार के प्रावधानों के रूप में उपलब्ध संरक्षणात्मक उपाय व्यक्ति को झूठे आरोपों से संरक्षण प्रदान करने एवं सशक्त अधिकारी द्वारा की गई तलाशी एवं जप्ती की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हैं; और यदि कोई सशक्त अधिकारी एन.डी.पी.एस. अधिनियम की आज्ञापक

आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो अभियोजन को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

11. वर्तमान प्रकरण में, यह स्वीकृत है कि तलाशी एवं जप्ती की कार्यवाही वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई, जो कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत न तो सशक्त अधिकारी थे और न ही विधिपूर्वक अधिकृत अधिकारी। वस्तुतः हुआ यह कि वे चारामा चौकी पर सामान्य जांच कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने उक्त टाटा सूमो वाहन की भी तलाशी ली, जिसमें मादक पदार्थ (गांजा) पाया गया। के.एस. ठाकुर (अ.सा.–3) के अनुसार, जब तलाशी में गांजा मिला, तब उसने उसे अपने कब्जे में लिया और लगभग प्रातः 7:00 बजे उसका तौल कराने के लिए एक किराना दुकान ले जाया गया। उसने पैरा-5 में यह भी कहा है कि वाहन की तलाशी के समय अर्थात् 4:00 बजे उसने तलाशी पंचनामा (प्रदर्श पी–1) तैयार किया। आगे उसने यह भी कहा कि उसने तोल पंचनामा (प्रदर्श पी–2) तैयार किया तथा मादक पदार्थ को जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–9) के माध्यम से जप्त किया। केवल इतना ही नहीं, दिनांक 06.05.2004 को लगभग प्रातः 8:15 बजे, अर्थात् उपरोक्त दस्तावेज तैयार करने के पश्चात, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–10, प्रदर्श पी–11, प्रदर्श पी–12 एवं प्रदर्श पी–13 के रूप में तैयार किए गए। तत्पश्चात, इस संबंध में मौखिक सूचना परिक्षेत्र अधिकारी एल.के. चौधरी (अ.सा.–8) को दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. श्री एल.के. चौधरी (अ.सा.–8) ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने दिनांक 06.05.2004 को प्रातः 9:00 बजे पुलिस थाना चारामा में घटना की लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–14) प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट देने के समय उन्होंने वाहन तथा मादक पदार्थ भी सुपुर्द किया, और रिपोर्ट के साथ संलग्न सूची के अनुसार, दस्तावेज क्रमांक 1 से 8 तक भी उनके द्वारा सौंपे गए थे। उनके मुख्य

विचारण के पैरा-11 में उन्होंने यह स्वीकार किया कि वन विभाग के अधिकारियों को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं था।

13. उपरोक्त तथ्य को अभियोजन द्वारा विवादित नहीं किया गया है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या इस प्रकरण में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41(1) एवं 42(1) के आज्ञापक प्रावधानों का पालन किया गया था या नहीं? तथा जब वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जब मादक पदार्थ की बरामदगी की गई थी, उस समय उन्हें कौन-सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी?

14. यह स्वीकृत है कि यह प्रकरण आकस्मिक बरामदगी (chance recovery) का था, क्योंकि किसी भी अधिकारी ने यह नहीं कहा कि उन्हें उक्त वाहन द्वारा गांजा परिवहन किए जाने की कोई पूर्व सूचना प्राप्त थी, बल्कि वास्तव में जब वे वन उपज की तलाशी कर रहे थे, तब उन्हें गांजा प्राप्त हुआ। जहाँ तक एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41(1) एवं 42(1) का प्रश्न है, तो यह न केवल धाराओं की भाषा से स्पष्ट है, बल्कि *बलबीर सिंह* (पुर्वोक्त) के निर्णय से भी यह सिद्ध होता है कि ये प्रावधान आज्ञापक हैं, और इनका उल्लंघन अभियोजन के प्रकरण को प्रभावित करता है एवं विचारण की प्रक्रिया को दूषित कर देता है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केवल प्राधिकृत अधिकारी तथा सशक्त अधिकारी ही तलाशी एवं जप्ती की कार्यवाही कर सकते हैं, जबकि यह स्वीकृत है कि वन विभाग के अधिकारी ऐसे अधिकारी नहीं थे। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. आकस्मिक बरामदगी (chance recovery) की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने *बलबीर सिंह* के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी, जैसा कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम में परिकल्पित है, किसी भी

प्रकार की पूर्व सूचना के बिना, किसी अपराध अथवा संदेहास्पद अपराध की जांच की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) में विनिर्दिष्ट है, किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है या उसे गिरफ्तार करता है, और जब वह तलाशी पूर्ण हो जाती है, उस स्थिति में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होती और उसके अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता। यदि ऐसी तलाशी या गिरफ्तारी के दौरान किसी मादक पदार्थ या मन:प्रभावी पदार्थ की आकस्मिक बरामदगी होती है, तब उक्त पुलिस अधिकारी, यदि वह सशक्त अधिकारी नहीं है, तो उसे सशक्त अधिकारी को सूचित करना चाहिए और तत्पश्चात वही अधिकारी एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि यदि उक्त पुलिस अधिकारी स्वयं ही सशक्त अधिकारी है, तो उस बिंदु से आगे की पूरी विवेचना उसे एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार करनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. वर्तमान प्रकरण में, जब वन विभाग के अधिकारियों को यह ज्ञात हुआ कि वाहन में गांजा है और उन्हें आकस्मिक बरामदगी (chance recovery) का सामना करना पड़ा, तब यह उनके लिए आज्ञापक था कि वे सशक्त अधिकारी को तत्काल सूचित करें, जिसे तत्क्षण विवेचना का प्रभार ग्रहण कर एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की विवेचना करनी थी। यह निर्विवाद है कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया बल्कि उन्होंने स्वयं आगे की विवेचना की और जप्ती पत्रक, तोल पंचनामा तैयार करने तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात, अगले दिन प्रातः, जब उनकी ओर से विवेचना पूर्ण कर ली गई, अभियुक्तगण को वाहन एवं मादक पदार्थ सहित पुलिस को सौंप दिया गया। इसके पश्चात, पुलिस अधिकारी ने प्रदर्श पी–8 के अंतर्गत एक

पृथक जप्ती पत्रक तैयार किया और उपर्युक्त वस्तुओं को 8 दस्तावेजों सहित अपने कब्जे में लिया।

17. प्रदर्श पी–8 की अंतर्वस्तु से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जप्ती एल.के. चौधरी (अ.सा.–8) के कब्जे से की गई थी और यह कार्यवाही उन्हीं पंच गवाहों—शोभाराम एवं रूपसिंह—की उपस्थिति में की गई, जिनकी उपस्थिति में वन अधिकारियों द्वारा पूर्व में जप्ती की गई थी। अर्थात्, यदि हम पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जप्ती को एक स्वतंत्र जप्ती के रूप में भी स्वीकार करें, तब भी यह स्पष्ट है कि वह जप्ती वन अधिकारियों के कब्जे से की गई, न कि अभियुक्तों के कब्जे से। इसका तात्पर्य यह है कि सशक्त अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, और केवल औपचारिक विवेचना के उपरांत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41(1) एवं 42(1) के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, तथा अपीलार्थीगण के कब्जे से सशक्त अधिकारी द्वारा मादक पदार्थ की जप्ती भी सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि वह भौतिक रूप से वन अधिकारियों के कब्जे से की गई थी। यहां तक कि अन्य परिस्थितियों में भी, किसी तृतीय अभिकरण द्वारा झूठे फँसाए जाने की संभावना को इस प्रकरण में पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अतः अभियोजन इस तथ्य को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है कि आज्ञापक विधिक प्रावधानों का पालन किया गया तथा वास्तव में गांजा अपीलार्थीगण के कब्जे से सशक्त अधिकारी द्वारा जप्त किया गया।

19. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। प्रत्येक अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अभियुक्तों को उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Abhishek Banjare, Advocate